



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1388]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2014/आषाढ़ 10, 1936

No. 1388]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2014/ASHADHA 10, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2014

का.आ. 1658(अ).—केन्द्रीय सरकार खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 83 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा तेल एवं गैस उद्योगों के अन्वेषण एवं उत्पादन के कार्य में नियोजित व्यक्तियों को खान अधिनियम, 1952 की धारा 28, 30 एवं 35 के उपबंधों से निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन छूट प्रदान करती है:

- (क) किसी व्यक्ति को किसी एक दिन में बारह घंटों से अधिक समय तक नियोजित नहीं किया जाएगा;
- (ख) किसी व्यक्ति को लगातार इक्कीस दिनों से अधिक समान दिवसों (अर्थात् 21 दिन) के विश्राम अंतराल के साथ नियोजित नहीं किया जाएगा;
- (ग) इक्कीस दिनों के लिए अनियमित पद्धति पर इस प्रकार से नियोजित व्यक्ति को उस अवधि के दौरान मानक आवास एवं कल्याण लाभ अथवा सुविधाएं कार्य स्थल पर अथवा शिविर में उपलब्ध करायी जाएंगी, जैसेकि:-
 - (i) निःशुल्क रहने एवं खाने की व्यवस्था;
 - (ii) निःशुल्क परिवहन सुविधा;
 - (iii) निःशुल्क चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाएं;
 - (iv) साफ-सफाई;
 - (v) मनोरंजन संबंधी सुविधाएं और
 - (vi) दोनों पक्षों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य सुविधाएं;

- (घ) इक्कीस दिन की 'अनियमित' लचीली कार्य पद्धति कामगारों एवं नियोक्ता संघों के मध्य लिखित समझौते के बाद अपनायी जाएगी;
- (ङ) इस प्रकार से नियोजित व्यक्तियों को ऐसे भत्ते एवं अन्य सुविधाएं जो अधिवेतन अथवा समयोपरि भत्ता की राशि से कम न हो, और जो खान अधिनियम, 1952 की धारा 33 के प्रावधानों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम अथवा विनियम अथवा उपनियमों अथवा उस समय प्रवृत्त अन्य किसी नियम अथवा किसी पंचाट की शर्तों के अंतर्गत अथवा संविदा के समझौते अथवा सेवा नियमों के अनुसार अनुमेय हो तथा, जो भी कामगारों के हित में हो, प्रदान की जाएगी।

[फा. सं. जेड-16025/09/2011-आईएसएच-II]

ए.सी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2014

S.O. 1658(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 83 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby exempts the persons employed in exploration and production of oil and gas mines in India from the provision of sections 28, 30 and section 35 of the Mines Act, 1952, subject to the following conditions, namely:—

- (a) the persons shall not be deployed for more than twelve hours on any one day;
- (b) the persons shall not be deployed for more than twenty one days at a stretch with grant of rest interval of the same number of days (i.e. 21 days);
- (c) the persons so deployed for twenty one days “on-and-off” work pattern shall be provided with standard accommodation and welfare amenities or facilities at the work site or camp during the period, such as :-
- (i) free boarding and lodging;
 - (ii) free transportation facility;
 - (iii) free medical, health and hygiene facilities;
 - (iv) sanitation;
 - (v) recreation facilities; and
 - (vi) any other facilities as decided mutually;
- (d) the flexible pattern of work twenty one days “on-and-off” shall be adopted after written agreements between workers' and employers' organisations;
- (e) the persons so deployed shall be paid such allowances and other facilities amounting to not less than the extra wages or overtime which shall have been payable to them under the provisions of section 33 of the Mines Act, 1952 or any rule or regulation or bye-laws made thereunder or any other law for the time being in force or admissible under the terms of any award or agreement of the contract or rules of the service, whichever is favourable to the workers.

[F. No. Z-16025/09/2011-ISH-II]

A.C. PANDEY, Jt. Secy.